विलोपित
विलोपित

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी – 3397/2018/दमोह/भू.रा

मो. शाहिद पिता मो. इब्राहिम खान
साकिन महिलवारा तह. पथरिया जिला दमोह
.......आवेदक

//विरूद्ध//

1. मायारानी जोजे पत्नी देवेन्द्र कुर्मी पटैल
साकिन महिलवारा तह. पथरिया जिला दमोह
2. सीमा जोजे पत्नी सुनील कुर्मी पटैल पुत्री
देवेन्द्र कुर्मी पटैल
साकिन ग्राम किरदेपुर तह. व जिला दमोह
.......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

श्री सुनील सिंह ... द्वारा आज दि. 2/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-6-18 नियत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमाँक 296/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27–03–18 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, इस प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि जिसमें विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिअपीलार्थी क.1 के नाम दर्ज थी जो पारिवारिक व्यवस्था एवं हक हिस्सा अनुसार बंटवारे में अनावेदक क.2 के नाम संशोधन पंजी वर्ष 12–13 के क.3 आ. दि. 10.12.12 के तहत नामांतरित की गई जो राजस्व रिकार्ड में विधिवत अनावेदक क.2 के नाम दर्ज शुदा होने के कारण आवेदक द्वारा उक्त भूमि सद्भाविक रूप से निष्पादित रजि. विकयपत्र दि. 31.07.17 के तहत कय कर मालकाना हक प्राप्त किया है जो राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम विधिवत रूप से दर्ज शुदा भूमि है अनावेदक क.1 द्वारा उक्त नामांतरण आदेश दि.10.12.12 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने प्रस्तुत अपील अनावेदक क.1 की सहमति शपथपत्र एवं उस पर उनके पति के हस्ताक्षर होने के आधार पर प्रस्तुत अपील वर्ष 2015 में निरस्त की गई उक्त आदेश के विरूद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निग. 3397 / 2018 / दमोह / भू.रा.

मो. शाहिद विरूद्ध मायारानी जोजे आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–10–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 17.09.2018 को आवेदक मो. शाहिद पिता इब्राहिम खान के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादोन को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 296 / अ–6 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी आवेदन को ग्राह्यता पर सुना गया । 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 106, 107 / 1, 138, 269 कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर मायारानी जोजे पत्नी देवेन्द्र कुर्मी (अनावेदिका क्र. 1) के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जिसका बटवारा तहसीलदार पथरिया, जिला–दमोह के द्वारा सहमति के आधार पर नामांतरण पंजी क्र.3 वर्ष 2012–13 में आदेश दिनांक 10.12.2012 से श्रीमती मायारानी अनावेदिका क्र. 1 के पक्ष में 0.04 हैक्टेयर भूमि एवं श्रीमती सीमा जोजे के पक्ष में 4.40 हैक्टेयर किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्र. 1 श्रीमती मायारानी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला–दमोह के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्र.क्र. 75 / अ–6 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 से उक्त अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्र. 1 मायारानी के द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत	

की गई, जिसे अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 296/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2013 से अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर वादग्रस्त भूमि पर पूर्ववत अनावेदिका क्र. 1 मायारानी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया । अपर आयुक्त के द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.03.2018 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है – " मैं अपीलार्थी अधिवक्ता के इस तर्क से भी सहमत हूँ कि प्रकरण की वादभूमि अपीलार्थिया मायारानी की स्वार्जित संपत्ति न होकर खानदानी संपत्ति है, जिस पर अपीलार्थिया की अन्य संतानों का भी जन्म से अधिकार है। मायारानी चाहकर भी उपरोक्त भूमि अकेले प्रतिअपीलार्थिया को नहीं दे सकती है। उपरोक्त पंजी पर पारित बंटवारा आदेश में अपीलार्थिया को मात्र 0.04 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिअपीलार्थिया को 4.80 हैक्टेयर भूमि बिना किसी आधार के प्रदान करना विधिवत नहीं है। यदि यह मान भी लिया जावे कि मायारानी एवं उसके पति देवेन्द्र ने भी पंजी पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगाकर करके सहमति प्रदान की थी, तो भी उपरोक्त भूमि का अंतरण अवैध एवं शासन की स्टांप ड्यूटी बचकर आर्थिक क्षति कारित करने की श्रेणी में आता है । जिस कारण प्रतिअपीलार्थिया के नाम से किया गया नामांतरण/बंटवारा विधि विरूद्ध नामांतरण बटवारा है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है। "

3/ आवेदक/निगरानीकर्ता मो. शाहिद ने निगरानी मेमों में उल्लिखित किया है कि उसके द्वारा अनावेदिका क्र. 2 सीमा जोजे से उनके नाम दिनांक 10.12.2012 को नामांतरण भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2017 से क्रय कर मालिकाना हक प्राप्त किया था, लेकिन अनावेदिका क्र. 1 मायारानी के द्वारा उन्हें पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत कर बाहमी संधी कर अपर आयुक्त से दिनांक 27.03.2018 को आदेश पारित करा लिया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

4/ निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अनावेदिका क्रमांक 1 श्रीमती मायारानी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध 13 जनवरी 2016 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की है, जबकि आवेदक/निगरानीकर्ता के द्वारा दिनांक 31.07.2017 को अनावेदिका क्र. 2 सीमा जोजे से भूमि क्रय की है।

5/ **अ– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178(1)(2) व 178(क) निम्नानुसार है –**

1. यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।
2. तहसीलदार, सह–भूधारियों की सुनवाई करने के पश्चात्, खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये निमयों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा ।

धारा 178(क) – भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का बंटवारा–

1. जब कभी कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है, तो वह विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा ।
2. तहसीलदार, विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात्, खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा ।

6/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि कृषि भूमि के बटांकन/विभाजन

(5)

के लिये आवश्यक है कि भूमि के एक से अधिक खातेदार हो या भूमिस्वामी के विधिक वारिसान हो। ऐसे विभाजन के लिये यह भी आवश्यक है कि धारा 178(2) के अनुपालन में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 199–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये खाते के विभाजन से सम्बधित नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया का पालन किया जाये।

प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम मिहलवारा की नामांतरण पंजी क्रमांक 03 वर्ष 2012–13 पर की गई है, जिससे स्पष्ट है कि बटवारा विभाजन नियम 1960 का एक ओर जहॉ पालन नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट नहीं है कि अनावेदिका क्र. 2 सीमा जोजे को मायारानी पत्नी देवेन्द्र की भूमि में सह–खातेदार/विधिक वारिसान के अधिकार कैसे प्राप्त हुये थे? तथाकथित सहमति पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी पर किया गया बटवारा/विभाजन नियमों के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/5

03/10/18

7/ निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अपर आयुक्त न्यायालय की आदेश पत्रिका से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायलय में अनावेदिका क्रमांक 1 के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील आवेदन पर दिनांक 14.01.2016 से कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी एवं द्वितीय अपील में अंतिम आदेश दिनांक 27.03.2018 को पारित किया गया । आवेदक (निगरानीकर्ता) मो. शाहिद के द्वारा दिनांक 31.07.2017 को विवादित भूमि का क्रय अनावेदिका क्रमांक 2 सीमा जोजे से क्रय करना बताया है, जिससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के यहॉ प्रकरण के चलते अनावेदिका क्रमांक 2 ने भूमि का विक्रय आवेदक को किया है, जो माफी योग्य नहीं है और ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामांतरण को उचित नहीं कहा जा सकता है ।

8/ अतः उपरोक्त के विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांके 27.03.2018 में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

9/ आवेदक अभिभाषक को आदेश नोट कराया जाये । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

03/10/18

(आर.के. जैन)
सदस्य